

भारतीय रेल (संशोधन) अधिनियम/ INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ACT
काम के घंटों से संबंधित विनियम/HOURS OF EMPLOYMENT REGULATIONS
ड्यूटी रोस्टर / Duty Roster

.....मंडल केखंड परस्टेशन मेंविभाग में नियुक्ति औरके रूप में वर्गीकृत.....का ड्यूटी रोस्टर ।
Duty Roster of ... classified as employed in Dept. at... .. Station on section of... .. Division.

औसतन लगाने की अवधि: पाक्षिक/साप्ताहिक/ Averaging period : 2 Weekly / Weekly

ड्यूटी के घंटे-(क) सांविधिक प्रति सप्ताह/Duty hours ---(a) Statutory..... per week. (ख) रोस्टर के अनुसार प्रति सप्ताह/ (b) Rostered.....per week

दिन/ Day	कर्मचारी 'क' /Employee 'A'				कर्मचारी 'ख' /Employee 'B'				कर्मचारी 'ग' /Employee 'C'				कर्मचारी 'घ' /Employee 'D'RG/LR				एवजी कर्मचारी/Rest Giver			
	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty(including P.& C. work)	काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty (excl.P.& C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&C. work	विश्राम के घंटे Hours of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty(including P.& C. work)	काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(excl. P.&C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&C. work	विश्राम के घंटे Hours of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty (including P.& C. work)	काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(excl. P.&C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&C. work	विश्राम के घंटे Hours of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty (including P.& C. work)	काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(excl. P.&C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&C. work	विश्राम के घंटे Hours of Rest	ड्यूटी पर (प्रारंभिक और पूरक कार्य को मिलाकर) On duty(including P.& C. work)	काम के घंटे (प्रारंभिक और पूरक कार्य को छोड़कर) Hours of duty(excl. P.&C. work)	प्रारंभिक और पूरक कार्य के घंटे Hours of P.&C. work	विश्राम के घंटे Hours of Rest
	से/ From	तक/ To			से/ From	तक/ To			से/ From	तक/ To			से/ From	तक/ To			से/ From	तक/ To		
रविवार/ Sunday																				
सोमवार/ Monday																				
मंगलवार/ Tuesday																				
बुधवार/ Wednesday																				
गुरुवार/ Thursday																				
शुक्रवार/ Friday																				
शनिवार/ Saturday																				
कुल/Total																				

नोट - (1) कर्मचारियों को चाहिए कि रोस्टर में दिखाए हुए समय के पूर्व ड्यूटी पर आवें और/या रोस्टर में दिखाए हुए समय के बाद ड्यूटी से जावें, बशर्ते कि ऐसा कुल समय 14 मिनट से अधिक न हो ।

Note - Staff should come on duty before the time shown in the roster and /or depart after the time shown in the roster subject to such total not exceeding 14 minutes

(2) नीचे दिखाए रूप में प्रारंभिक/पूरक कार्य को ड्यूटी माना जाना चाहिए---

Preparatory Complementary work should count as duty to the extent shown below -----

(क) निरंतर मूलतः सविराम और गहन कामगारों के मामले में -15 मिनट के कम अवधि को ड्यूटी नहीं माना जाएगा और उसे रोस्टर में उल्लिखित नहीं किया जाएगा।

(a) In the case of 'C', 'I' and 'I' workers -period of less than 15 minutes will not count as period of duty and should not be mentioned in the roster

(ख) निरंतर कामगार--(1) प्रतिदिन 15 से लेकर 45 मिनट से कम समय तक का प्रारंभिक और/या पूरक कार्य आधे घंटे के कार्य के रूप में माना जाएगा।

(b) C worker- (i) Preparatory and or Complementary work between 15 minutes and less than 45minutes per day ;shall be treated as ½ hour's work

(ii)प्रतिदिन 45 मिनट से लेकर एक घंटे तक के प्रारंभिक और/या पूरक कार्य को एक घंटे के कार्य के रूप में माना जाएगा । प्रति सप्ताह अनुमान अधिकतम समय 6घंटे है ।

Preparatory and or Complementary work for a period between 45 minutes and one hour Per day will be treated as one hour's work. The maximum permissible is 6hours a week.

Officer.....

दिनांक/Date.....

पदनाम/Designation.....

(ग) गहन कामगार-15 से 30 मिनट तक का प्रारंभिक और/या पूरक कार्य 30 मिनट को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा 1 प्रति सप्ताह अनुमत समय 3 घंटे

(c) 'I' workers—preparatory and/or Complementary work for a period between 15 and 30 minutes will be considered to be duty for 30 minutes. The maximum permissible is 3 hours a week.

(घ) मूलतः सविराम कामगार 15 से 30 मिनट तक का प्रारंभिक और /या पूरक कार्य 30 मिनट की ड्यूटी के रूप में माना जाएगा । अनुमत अधिकतम समय नीचे दिखाए अनुसार है ।

(d) E.I. workers-Preparatory and/or Complementary work for a period between 15 minutes and 30 minutes should be considered to be duty for 30 minutes.

The maximum permissible be being as shown below--

विश्राम घरों, जलगारों आदि के रखवालों , सैलून परिचारकों और मार्गस्थ छोटे स्टेशनों में नियुक्त ऐसे मूलतः सविराम कर्मचारियों के मामलों में जिनको, उनके ड्यूटी स्थान से 0.5 कि.मी. के अंदर आवास के लिए मकान की व्यवस्था है -3घंटे ।

(ii) बाकी 'मूलतः' सविराम कामगार-4-1/2 घंटे

Rest of the 'E. I' workers—4-1/2 hours.

(उनके मामले में 30 से 45 मिनट तक के समय के प्रारंभिक और/या पूरक कार्य को 45 मिनट के कार्य के रूप में पूर्णांकित किया जाना चाहिए ।)

(In their case preparatory and/or Complementary work for period between 30 and 45 minutes should be rounded off to 45 minutes

अधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of